झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक-20/02/2025

संख्या-03/आरोप(कोर्ट केस)-15-06/2024-29133 (HRMS)/ श्री मनोज कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-426/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2292 दिनांक-16.10.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री गुप्ता के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- प्रखण्ड कार्यालय, प्रतापपुर के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान श्री मनोज कुमार गुप्ता ने श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम एवं समायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लक्षित समूह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। श्री गुप्ता के इस कृत्य से सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ। श्री गुप्ता का यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(3) के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों पर श्री गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, चतरा द्वारा समर्पित मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-20955(HRMS), दिनांक 11.05.2023 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-216, दिनांक 01.09.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है।

श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असमहत होते हुए श्री गुप्ता के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित दण्ड विभागीय पत्रांक-6012, दिनांक 27.10.2023 द्वारा श्री गुप्ता से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

श्री गुप्ता के पत्रांक-95, दिनांक 12.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-21324(HRMS), दिनांक 01.03.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा दायर W.P.(S) No. 2707 of 2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2024 को पारित आदेश में दण्ड अधिरोपण से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-21324(HRM), दिनांक 01.03.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के तहत् अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक” को विलोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR GUPTA JHK/JAS/260	श्री मनोज कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-426/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-21324(HRM), दिनांक 01.03.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iv) के तहत् अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक” को विलोपित किया जाता है।

.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अनल प्रतीक मिंज)
सरकार के उप सचिव।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

ज्ञापांक-03/आरोप(कोर्ट केस)-15-06/2024-29133 (HRMS)/राँची दिनांक-20/02/2025

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-03/आरोप(कोर्ट केस)-15-06/2024-29133 (HRMS)/राँची दिनांक-20/02/2025

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/उपायुक्त, चतरा/उपायुक्त, रामगढ़/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-2/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी पी0एम0यू0 कोषांग/विभागीय उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3(आरोप)/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3(चारित्री)/श्री मनोज कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-426/20), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातु, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Prepared By:- PRADEEP KISHOR LAKRA - (110070953779)